इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

क्रं. F. A-3-41/2017/1/पांच (47) भोपाल, दिनांक 30 जून, 2017

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर प्रदाय को उक्त मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी प्रदायकर्ताओं से, जो रजिस्ट्रीकृत नही है, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच (47) भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच (47), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

No. F-A 3-41/2017/1/V(47) Bhopal, dated 30 June, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No 19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the state tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No 19 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.